न्यायालय तहसीलदार लवाण जिला दौसा (राज.)

सरकार बनाम भगवान सहाय,रामखिलाड़ी,सीताराम पुत्रान भौरया जाति कुम्हार नि.बनियाना तहसील लवाण

मिसल न. 47/2023 — निर्णय दिनांक-22.01.2024

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बनियाना ने रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय मे प्रस्तुत कि की भगवान सहाय,रामखिलाड़ी,सीताराम पुत्रान भौरया जाति कुम्हार नि.बनियाना तहसील लवाण ने ग्राम बनियाना के आराजी खसरा नंबर 1580 किस्म चरागाह कुल रकबा 0.39 है० मे से रकबा 0.15 है० भूमि पर संवत 2080 फसल वर्ष रबी मे जोत लगाकर तारबंदी कर अतिक्रमण किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अतिक्रमी बाद तामील उपस्थित रहे तथा अतिक्रमियों की ओर से अतिक्रमण नहीं होने के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये । जिससे राजकीय भूमि पर अतिचार करना सिद्ध होता है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अतिक्रमियों का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है, तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखते है । अतः उन्हे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः अतिक्रमियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे पर जोत लगाकर की गई तारबंदी से भौतिक रूप से बेदखल किया जाने व उस पर लगान 9.00 रु. का 50 गुना 450 रु. की शास्ति आरोपित की जाती है।

पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसूली एवं बेदखली हेतु भू.अ.निरीक्षक बनियाना एवं पटवारी हल्का पटवार मण्डल बनियाना को लिखा जावे । निर्णय खुले न्यायालय मे आज दिनांक 22.01.2024 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नबर [illegible] हो। बाद तकमील लेख भण्डार हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharm Singh Meena
Date: 2024.03.05 13:18:06 IST
Reason: SelfAttested

(धर्म [illegible] मीना)
तहसीलदार
लवाण जिला दौसा(राज.)

तहसीलदार लवाण (जिला दौसा)

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, लवाण (जिला दौसा)

ए० ले० स० 4 वर्ष 23-24
की पृष्ठ सं. 28 पर 450 रु.
की मांग कायम की।

तहसील राजस्व लेखाकार
लवाण